राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 65 / 2025
निर्णय दिनांक: 21.07.2025
जीसीएमएस सं0: 2025 / 144
दायर दिनांक: 05.05.2025

1. श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट नि0 खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
2. कमलेश पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट नि0 खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
3. सुखवीर पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट नि0 खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
4. सन्जू पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट नि0 खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा खुड़ी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 927 / 132 रकबा 3.4141 है0 व खसरा नम्बर 929 / 149 रकबा 4.1855 है0 कुल किता दो कुल रकबा 7. 5996 है0 प्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया संख्या 1 के पति व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के पिता ओमप्रकाश उर्फ उमाराम का 27.12.2026 को स्वर्गवास हो गया तथा प्रार्थिया 1 के ससुर एवं प्रार्थीगण 2 ता 4 के दादाजी लिखमाराम का 19–01–2015 को स्वर्गवास हो चुका है, खातेदार लिखमाराम का स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया तब प्रार्थिया 1 के पति व प्रार्थीगण 2 ता 4 के पिता का घर में बोलता नाम उमाराम लिखवा दिया गया, जबकि उनका सही व दस्तावेजी नाम ओमप्रकाश है, जो कि प्रार्थीगण के समस्त आधार कार्ड, पैनकार्ड व राशन कार्ड आदि में भी अंकित है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही मौजा खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थिया सं0 1 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उमाराम की बजाय ओमप्रकाश दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थिया संख्या 1 के पति एवं प्रार्थीगण 2 ता 4 के पिता का नाम ओमप्रकाश अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 2 खसरा नम्बर 927/132 रकबा 3.4141 है0 व खसरा नम्बर 929/149 रकबा 4.1855 है0 कुल किता दो कुल रकबा 7.5996 है0 में दर्ज प्रार्थिनी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम उमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़